डिस्कलेमर

आदेश संख्या 07/2024-25 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/जीआईएएल/सीपी-III/2022-27

आदेश संख्या 07/2024-25

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, गुवाहाटी (जीएयू) के संबंध में तृतीय नियंत्रण अवधि (01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2027) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 06 सितम्बर, 2024

तृतीय तल, उड़ान भवन
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

15 *प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार*

अध्याय 4 : वित्त वर्ष 2017 से वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख तक की द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए एएआई का टूअप

4.16.1 पैरा 4.4.1 (तालिका 9) में दिए गए विवरण के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के टू-अप के लिए यात्री यातायात और एटीएम को मानना।

4.16.2 तालिका 22 में दिए गए विवरण के अनुसार पूंजीगत परिवर्धनों और परिसंपत्तियों के वैमानिक आबंटन को मानना।

4.16.3 द्वितीय नियंत्रण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए एएआई के टू-अप के लिए पैरा 4.7.4 (तालिका 24) में दिए गए विवरण के अनुसार परिसंपत्तियों के संशोधित आबंटन को ध्यान में रखकर मूल्यह्रास का पुन: परिकलन करना।

4.16.4 द्वितीय नियंत्रण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के टू-अप के लिए पैरा 4.8.2 (तालिका 25) में दिए गए विवरण के अनुसार एएआई के लिए आरएबी को मानना।

4.16.5 पैरा 4.8.3सी (तालिका 27) के अनुसार एलजीबीआईए के लिए माने गए प्रारंभिक आरएबी को मानना।

4.16.6 द्वितीय नियंत्रण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए पैरा 4.9.14 के अनुसार एफआरओआर के टू-अप को मानना।

4.16.7 तालिका 34 के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च के टू-अप को मानना।

4.16.8 तालिका 38 के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व के टू-अप को मानना।

4.16.9 तालिका 41 के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए वैमानिक राजस्व के टू-अप को मानना।

4.16.10 तालिका 44 के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए वैमानिक कराधान के टू-अप को मानना।

4.16.11 तालिका 46 के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए एआरआर के टू-अप को मानना।

4.16.12 तालिका 46 के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए एएआई के टू-अप के लिए 152.07 करोड़ रूपए की कम वसूली वाले वर्तमान मूल्य को मानना और इसे तृतीय नियंत्रण अवधि के एआरआर में पुन: समायोजित करना।

अध्याय 5: वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख (सीओडी) से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए जीआईएएल का टू-अप

5.12.1 तालिका 56 के अनुसार सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए कैपेक्स, मूल्यह्रास और आरएबी के टू-अप को मानना।

5.12.2 तालिका 57 के अनुसार सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए एफआरओआर के टू-अप को मानना।

5.12.3 तालिका 62 के अनुसार सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च के टू-अप को मानना।

5.12.4 तालिका 64 के अनुसार सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व के टू-अप को मानना।

5.12.5 तालिका 66 के अनुसार सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए वैमानिक राजस्व के टू-अप को मानना

5.12.6 तालिका 68 के अनुसार सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए कराधान के टू-अप को मानना

5.12.7 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर का परिकलन करते समय तालिका 70 के अनुसार सीओडी के पश्चात की अवधि के लिए 7.13 करोड़ रूपए की कम वसूली को मानना।

अध्याय 6: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात पूर्वानुमान

6.6.1 एलजीबीआईए के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 80 के अनुसार यात्री यातायात, एटीएम और कार्गो यातायात को माननाl

6.6.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (एटीएम, यात्री और कार्गो) को टूअप करनाl

अध्याय 7: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), मूल्यह्रास और आरएबी

7.10.1 परिसंपत्तियों के आंबटन संबंधी अध्ययन, आईएमजी मानदंड के अनुरूप और अन्य समान हवाईअड्डों के लिए अनुमोदन किए अनुसार 90:10 के टर्मिनल भवन अनुपात को माननाl

7.10.2 पैरा 7.9.8 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान आईडीसी की अनुमति देना और पैरा 7.9.7 में उल्लेख किए अनुसार वित्तीय भत्ते की अनुमति न देनाl

7.10.3 तालिका 130 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक व्यय के पूंजीकरण को अंगीकार करनाl

7.10.4 पैरा 7.9.6 में उल्लेख किए अनुसार कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर से अपूंजीकृत परियोजना लागत की 1% राशि कम (समायोजित) करनाl अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय इसकी जांच की जाएगीl

7.10.5 पैरा 7.3.9 में दिए गए विवरण के अनुसार वास्तविक भार ग्रहण के आधार पर आरएबी/ सीडब्लयूआईपी पर जीएसटी को माननाl

7.10.6 केन्दीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अध्याय V के अनुसार निवेश कर जमा के लेखांकन की जांच करना और चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय आवश्यक समायोजन करना

7.10.7 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर, लागत कार्यक्षमता और औचित्य की शर्त पर वैमानिक पूंजीगत व्यय को टू-अप करनाl

7.10.8 तालिका 131 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक मूल्यह्रास को अंगीकार करनाl

7.10.9 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक परिसंपत्ति परिवर्धनों और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के मूल्यह्रास को टू-अप करनाl

7.10.10 एलजीबीआईए के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 132 के अनुसार औसत आरएबी को माननाl

7.10.11 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को टू-अप करनाl

अध्याय 8 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर (एफआरओआर)

8.6.1 15.18 % पर ईक्विटी की लागत को माननाl

8.6.2 सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले अन्य हवाईअड्डों के मामले में माने जा रहे लक्ष्य प्राप्ति अनुपात के अनुरूप 48%:52% के ईक्विटी (प्राप्ति) के अनुपात के लिए काल्पनिक ऋृण को माननाl

8.6.3 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 9% की ऋृण की लागत को माननाl

8.6.4 ऊपर उल्लिखित ईक्विटी की लागत, ऋृण की लागत और प्राप्ति अनुपात के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 12.21% के एफआरओआर को माननाl

अध्याय 9 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

9.6.1 तालिका 141 के अनुसार डब्ल्यूपीआई मुद्रा-स्फीति को माननाl

अध्याय 10: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च

10.6.1 एलजीबीआईए के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 173 के अनुसार कुल वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना, जिसमें प्रचालन खर्च, फ्यूल प्रचालन खर्च और कार्गो प्रचालन खर्च शामिल है ।

10.6.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि में टू-अप के समय औचित्य और दक्षता की शर्त पर जीआईएएल द्वारा तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान वहन किए गए कुल वास्तविक वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को माननाl

अध्याय 11: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व

11.6.1 एलजीबीआईए के लिए तालिका 178 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

11.6.2 यदि गैर वैमानिक राजस्व प्राधिकरण द्वारा तालिका 178 में प्रस्तावित राजस्व से अधिक हो तो अगली नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण के समय इसे ट्रू-अप किया जाएगा।

अध्याय 12 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

12.6.1 एलजीबीआईए के लिए तालिका 181 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान को मानना।

12.6.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय सभी संगत तथ्यों को उपयुक्त ढंग से ध्यान में रखकर वैमानिक कर राशि को ट्रू-अप करना।

अध्याय 13: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

13.5.1 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए एलजीबीआईए की सेवा की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी समायोजन को नहीं मानना।

13.5.2 जीआईएएल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एलजीबीआईए पर सेवा की गुणवत्ता तृतीय नियंत्रण अवधि के रियायत करार में इंगित निष्पादन मानकों के अनुरूप है।

अध्याय 14 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)

14.6.1 एलजीबीआईए के लिए तालिका 185 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और वाईपीपी को मानना।

14.6.2 जीआईएएल के लिए तालिका 186 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए अनुमानित वैमानिक राजस्व को मानना।

14.6.3 इस टैरिफ आदेश के संलग्नक 1-बी में दिए अनुसार दिनांक 16 सितम्बर, 2024 से लागू वीटीपी को मानना।

14.6.4 जीआईएएल को हितधारकों और ऐरा की जानकारी के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान के लैंडिंग और रात्रि पार्किंग प्रभार, वहन किए गए व्यय और वीटीपी के तहत दिए गए प्रोत्साहनों का अलग-अलग रिकॉर्ड रखने का निदेश दिया जाता है, ताकि अगली नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक टैरिफ के निर्धारण के लिए सुविचारित मत प्राप्त हो सके। प्राधिकरण जीआईएएल को इकाओ के भेदभाव रहित सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निदेश देता है।

14.6.5 जीआईएएल को निदेश दिया जाता है कि वह ऐरा सीजीएफ दिशा-निर्देश के अनुसार अपनी कार्गो हैंडलिंग और फ्यूल सेवाओं के लिए अलग लेखों का रख-रखाव करे और प्रत्येक लेखांकन वर्ष (31 मार्च को समाप्त) का वार्षिक अनुपालन विवरण (एसीएस) प्रस्तुत करेगी।

14.6.6 जीआईएएल के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए संलग्नक-1-ए के अनुसार टैरिफ दर कार्ड: लैंडिंग प्रभार, पार्किंग प्रभार, यूडीएफ, फ्यूल अवसंरचना प्रभार और एक्स रे स्क्रीनिंग प्रभार को मानना

16 टैरिफ आदेश

16.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर प्राधिकरण एतदद्वारा संलग्नक-1 (1-ए,1-बी, 1-सी) में बताए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एलजीबीआईए पर वसूली जाने वाली वैमानिक टैरिफ निर्धारित करता है।

16.2 वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन बनाए गए वायुयान नियम, 1937 के नियम, 89 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (बी) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतदद्वारा वर्तमान नियंत्रण अवधि के लिए आदेश के संलग्नक 1 के दर कार्ड में इंगित किए अनुसार यूडीएफ की दर निर्धारित करता है।

16.3 इसमें निर्धारित टैरिफ उच्चतम दरें हैं और इनमें कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

16.4 यह टैरिफ आदेश 16 सितम्बर, 2024 से प्रभावी किया जाएगा।

16.5 जीआईएएल प्राधिकरण के विनियामक दिशा-निर्देश-2011 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए अपना एमवाईटीपी प्राधिकरण को ठीक समय पर प्रस्तुत करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव, ऐरा

सेवामें,

श्री. अश्विन नोरोंहा,
मुख्य हवाईअड्डा अधिकारी,
गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
गुवाहाटी

प्रतिलिपि;

1. **सचिव,** नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – 110 003
2. **नागर विमानन महानिदेशालय** :एआईसी जारी करने के लिए
3. **अध्यक्ष**, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003